

संख्या- 704/एक-10-2024-33(36)/2023 टी0 सी0

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी, कासगंज, बुलन्दशहर, कुशीनगर, बाराबंकी, सोनभद्र, लखनऊ, महाराजगंज, बिजनौर, अयोध्या, बौदा, मुलतानपुर, आगरा, मिर्जापुर, बलिया, अमरोहा, हमीरपुर, प्रयागराज, खीरी, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, महोबा, गोंडा, कानपुर देहात, सिद्धार्थ नगर, औरैया, चित्रकूट, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, गाज़ीपुर, मुरादाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 24/04/2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को एस.डी.आर.एफ. के मानक के अनुसार राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत आयुक्त की संस्तुति के आधार पर राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रु० 9,83,24,000/- (रुपये नौ करोड़ तिरासी लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्रम सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	कौशाम्बी	30.00
2	कासगंज	20.00
3	बुलन्दशहर	0.2
4	कुशीनगर	100.00
5	बाराबंकी	30.00
6	सोनभद्र	15.00
7	लखनऊ	50.00
8	महाराजगंज	60.00
9	बिजनौर	10.00
10	अयोध्या	50.00
11	बौदा	20.00
12	मुलतानपुर	50.00
13	आगरा	50.00
14	मिर्जापुर	50.04
15	बलिया	50.00
16	अमरोहा	20.00
17	हमीरपुर	10.00
18	प्रयागराज	8.00
19	खीरी	75.00

20	अम्बेडकर नगर	10.00
21	फिरोजाबाद	20.00
22	महोबा	10.00
23	गोंडा	20.00
24	कानपुर देहात	20.00
25	सिद्धार्थ नगर	50.00
26	औरैया	10.00
27	चित्रकूट	30.00
28	प्रतापगढ़	15.00
29	संत कबीर नगर	30.00
30	शाहजहाँपुर	30.00
31	गज़ीपुर	25.00
32	मुरादाबाद	15.00
	योग	983.24

(रुपये नौ करोड़ तिरासी लाख चौबीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा बिस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी बिस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राहत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-वेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रयोजन समाप्त होना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेगा।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपरेखा 9,83,24,000/- (रुपये नौ करोड़ तिरासी लाख चौबीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000607 अप्रिकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम

केवल

Date: 24/03/2024 16:30:23

Revised Signature

संख्या- 704 (1)/एक-10-2024, तदिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0 प्र0 प्रयागराज।
- 2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ।
- 5- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ.प्र. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उ.प्र., लखनऊ।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0 प्र0।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-01/05/2024

प्रेषण संख्या:- 704
आवंटन आदेश संख्या:- 001-704
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
07 - अग्निकांड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	20000 20000	20000 20000
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
3	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1000000 1000000	1000000 1000000
4	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1500000 1500000	1500000 1500000
5	साहजहापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3000000 3000000	3000000 3000000
6	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	800000 800000	800000 800000
7	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1000000 1000000	1000000 1000000
8	वांदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 2000000	2000000 2000000
9	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5004000 5004000	5004000 5004000
10	गाजीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 2500000	2500000 2500000
11	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
12	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
13	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	7500000 7500000	7500000 7500000
14	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
15	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 2000000	2000000 2000000
16	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
17	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
18	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
19	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
20	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
21	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
22	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
23	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 6000000	6000000 6000000
24	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
25	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
26	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
27	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
28	औरैया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
29	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
30	अमरौहा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
31	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
32	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	98324000 98324000	98324000 98324000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ तिरासी लाख चौबीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ तिरासी लाख चौबीस हजार

(रजनीकान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राज्य आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन